कार्यालय अग्निशमन अधिकारी रायबरेली

पत्र संख्याः एफ0एस0ओ0 / शिक्षण संस्थान / 2021 दिनांकःमई 25, ,2021

सेवा में,

प्रधानाचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
सिविल लाइंस, गोरा बाजार
रायबरेली।

विषयः– केन्द्रीय विद्यालय सिविल लाइंस, गोरा बाजार रायबरेली में मॉक ड्रिल कराकर स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं क्रियाशीलता के सम्बन्ध में।

संदर्भः– फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांकः एफएस–1710–2019 दिनांकः 03.01.2020 एवं शासनादेश सं0: 1975 / छः–पु0–8–16–801(45) / 2016 दिनांकः 09.12.2016

उपरोक्त संदर्भित विषयक एवं आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके केन्द्रीय विद्यालय सिविल लाइंस, गोरा बाजार रायबरेली में मॉक ड्रिल कराकर स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण मुझ अग्निशमन अधिकारी नगर रायबरेली द्वारा किया गया, आख्या निम्नवत हैः–

1– उपरोक्त शिक्षण संस्थान गोरा बाजार सिविल लाइंस गोरा बाजार, रायबरेली में स्थित पाया गया। जहां तक अग्निशमन विभाग की छोटे एवं बड़े वाहन आसानी से आ–जा सकते है।

2– उपरोक्त शिक्षण संस्थान भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित एवं संचालित है

3– संस्थान में 34 अदद ए0बी0सी0 04 किग्रा0 क्षमता का एवं 6 अदद सी0ओ0टू0 4.5 किग्रा0 के फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में उपलब्ध पाये गये।

4– संस्थान में 4 अदद होजरील कार्यशील दशा में लगे पाये गये।

5– संस्थान के टैरिस पर 5000 ली0 क्षमता का टेरिस टैंक एवं 450 एल0पी0एम का टेरिस पंप लगा पाया गया।

6– संस्थान में लगे सबमर्सिबल पम्प में 63 एम0एम0 की मेल कपलिंग लगायी जायें जिससें आवश्यकता पड़ने पर फायर सर्विस के वाहन को आसानी से पानी प्राप्त हो सकें।

7– संस्थान में फायर स्टेशन नगर रायबरेली का टेलीफोन नम्बर 0535–2203493,112 व सी0यू0जी0 नं0–9454418669 का बोर्ड लगाया जायें।

8– संस्थान में ढांचागत एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0–2016 में दिये गये मानको के अनुसार वांछनीय होगी तथा एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांकः 16.02.2018 में वर्णित निर्देशो के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

अतः शिक्षण संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थायें प्रमाणित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में मॉक ड्रिल कराते हुये स्थापित अग्निशमन व्यवस्थायें सदैव कार्यशील दशा में रखना सुनिश्चित करेंगे तथा अग्निशमन विभाग से प्रत्येक वर्ष लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं का क्रियाशीलता प्रमाणित करायेंगे। उपरोक्तानुसार पालन न करने की दशा में प्रमाणित प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेंगा।

25-5-21

अग्निशमन अधिकारी
रायबरेली

अग्निशमन अधिकारी
रायबरेली